


अध्याय-1

कार्ड सिलिंग प्रक्रिया— फलो चार्ट



D ✓ Dr. ✓ ✓ ✓ Dr. ✓ 3

अध्याय-2

अर्हताएं

- ऐसे अभ्यर्थी जिन्हे नीट यू०जी०-२०२४ की परीक्षा में अर्ह घोषित किया गया हो।
- उत्तर प्रदेश राज्य के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी एन०टी०ए० द्वारा जारी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु कट-ऑफ स्कोर के अनुसार यू०पी० नीट यू०जी०-२०२४ की काउंसिलिंग हेतु अर्ह होंगे।
- अन्य राज्यों के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी एन०टी०ए० द्वारा जारी अनारक्षित वर्ग के कट-ऑफ स्कोर के एन०टी०ए० द्वारा जारी आरक्षित वर्ग के कट-ऑफ स्कोर का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।
- प्रदेश के राजकीय क्षेत्र के समस्त मेडिकल एवं डेण्टल कालेजों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। इस निमित्त, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने हाईस्कूल डोमेसाइल/सामान्य निवास प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं होगा।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट में से एक अथवा दोनों परीक्षायें उत्तर प्रदेश के बाहर से द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उत्तर प्रदेश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत डोमेसाइल/सामान्य निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- प्रदेश के निजी क्षेत्र के मेडिकल एवं डेण्टल कालेजों/विश्वविद्यालयों तथा अल्पसंख्यक संस्थाओं में संचालित स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक नहीं होगा तथा भारत के अन्य प्रदेशों से हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी निजी क्षेत्र के मेडिकल एवं डेण्टल कालेजों तथा अल्पसंख्यक संस्थाओं की काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु अर्ह होंगे।
- यू०पी० नीट यू०जी०-२०२३ के स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड से आवंटित ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा प्रवेश नहीं लिया गया हो, वे यू०पी० नीट यू०जी०-२०२४ की काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु अर्ह नहीं होंगे।
- एन०टी०ए० (National Testing Agency) द्वारा नीट यू०जी०-२०२४ हेतु जारी ब्रोशर में उल्लिखित शैक्षणिक अर्हताएं स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु लागू होगी। (अनुलग्नक-VIII)

अध्याय-3

आरक्षण

- यूपी० नीट यू०जी०-२०२४ के काउंसलिंग हेतु आरक्षण शासनादेश संख्या-I/700717/2024, Dated 26-07-2024 के अनुसार अनुमत्य होंगे।
- आरक्षण के संबंध में उक्त शासनादेश में दिये गये प्राविधानों के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं:-

क) उर्ध्वाधर (Vertical) आरक्षण:-

- प्रदेश में स्थापित राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/विश्वविद्यालयों/स्वशासी संस्थानों (विशेष समन्वित योजना (एस०सी०पी०)) के अन्तर्गत स्थापित राजकीय मेडिकल कालेजों को छोड़कर) में स्नातक पाठ्यक्रम की स्टेट कोटे की सीटों पर उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी आरक्षित वर्ग की जातियों की अद्यतन सूची के अनुसार निम्नानुसार आरक्षण अनुमत्य होगा:-

1	अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी	21 प्रतिशत
2	अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी	02 प्रतिशत
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी	27 प्रतिशत
4	आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थी	10 प्रतिशत

- प्रदेश में विशेष समन्वित योजना (एस०सी०पी०) के अन्तर्गत स्थापित राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकरनगर, कन्नौज, जालौन तथा सहारनपुर में उर्ध्वाधर आरक्षण के अन्तर्गत शासन द्वारा सीटों का श्रेणीवार विभाजन निम्नवत् किया गया है:-

क्र० सं०	श्रेणी	राज्य सरकार द्वारा आवंटित सीटे
1	अनुसूचित जाति	62
2	अनुसूचित जनजाति	05
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	11
4	अनारक्षित	07
	योग	85

ख) क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण:-

- उपरोक्त उर्ध्वाधर (Vertical) आरक्षण में निम्नलिखित श्रेणी के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण प्रदान किया जायेगा:-

1	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए	02 प्रतिशत
2	भूतपूर्व सैनिक (युद्ध में अपांग / सेवानिवृत्त / शहीद) के पुत्र/पुत्री के लिए	02 प्रतिशत
3	दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए	05 प्रतिशत
4	एन०सी०सी० कैडेट के लिए (कम से कम बी ग्रेडिंग सहित सी सर्टिफिकेट)	01 प्रतिशत
5	महिला अभ्यर्थियों के लिए	20 प्रतिशत

- आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणी हेतु दिनांक 01 अप्रैल, 2024 के बाद का निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

✓ Dr. ✓ ✓ Dr. ✓ ✓

- आरक्षण से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्र (दिव्यांगता एवं एन०सी०सी० प्रमाण-पत्र को छोड़कर) उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उत्तर प्रदेश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत ही मान्य होंगे।
- भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्त हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र के प्रपत्र पर आरक्षण प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, मेडिकल काउन्सिलिंग कमेटी, Director General of Health Services (DGHS) Ministry of Health and Family Welfare, New Delhi द्वारा जारी निर्देशानुसार निर्धारित केन्द्रों से निर्गत एवं निर्धारित प्रारूप पर ही मान्य होंगे।
- एन०सी०सी० प्रमाण पत्र (कम से कम बी ग्रेडिंग सहित सी सर्टिफिकेट) निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत ही मान्य होंगे।
- निजी क्षेत्र के अल्पसंख्यक संस्थानों की 50 प्रतिशत सीटों पर संबंधित धार्मिक अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों को आवंटन प्रदान किया जायेगा तथा 50 प्रतिशत सीटें ओपेन श्रेणी के अभ्यर्थियों से आवंटित की जाएगी।
- नीट 2024 परीक्षा के आवेदन के समय उ०प्र० राज्य के आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा यदि अपनी श्रेणी अनारक्षित अंकित की गयी हो, तो य०पी० नीट य०जी०-2024 के काउंसिलिंग हेतु पंजीकरण के समय ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा अपना पंजीकरण आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत कराने पर संबंधित आरक्षित श्रेणी का लाभ नियमानुसार देय होगा।
- शासनादेश संख्या-22 सीएम/26-3-2013 दिनांक-10.06.2013 द्वारा विमुक्त जाति के आरक्षण के सम्बन्ध में शासनादेश के बिन्दु संख्या-03 एवं 04 में निम्न व्यवस्था की गयी है:-

बिन्दु 3— जहाँ तक विमुक्त जातियों को आरक्षण की सुविधा की अनुमन्यता का प्रश्न है कि विमुक्त जाति के अन्तर्गत आने वाली, जो जातियाँ अनुसूचित जाति अथवा पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत वर्गीकृत हैं, उन्हे तदनुरूप उक्त वर्गों हेतु अनुमन्य आरक्षण की सुविधा प्रदत्त होगी।

बिन्दु 4— यह स्पष्ट किया जाता है कि विमुक्त जातियों को विमुक्त जाति के नाम से आरक्षण की सुविधा अनुमन्य नहीं है, अपितु जैसा कि उपर स्पष्ट किया गया है कि विमुक्त जातियों की सूची में अंकित वह जातियाँ, जो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित है, उन्हे उक्त जाति को अनुमन्य आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा।



अध्याय—4 पंजीकरण प्रक्रिया

ऑनलाइन पंजीकरण एवं पंजीकरण शुल्क—

- पंजीकरण हेतु अभ्यर्थी नीट काउंसिलिंग की वेबसाइट <https://upneet.govt.in> पर लॉगिन करते हुये नीट यू0जी0—2024 के रोल नं0 एवं एप्लीकेशन नं0 प्रयोग करेंगे तथा स्क्रीन पर दिये गये दिशा—निर्देशों के अनुसार पंजीकरण फार्म भरेंगे।
- अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि नीट काउंसिलिंग की वेबसाइट पर पंजीकरण फार्म स्वयं भरे न कि किसी ऐजेन्ट या अन्य व्यक्ति के द्वारा पंजीकरण फार्म भरवायें, साथ ही पंजीकरण हेतु अभ्यर्थी अपने स्वयं के मोबाइल नम्बर एवं ईमेल का इस्तेमाल करें।
- पोर्टल पर लॉगिन करने के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा नीट परीक्षा के समय दिये गये विवरण यथा अभ्यर्थी का नाम, माता/पिता का नाम, जन्मतिथि इत्यादि स्वतः प्रदर्शित होगी जिसमें कोई भी बदलाव संभव नहीं है। तत्पश्चात अभ्यर्थी को पंजीकरण फार्म में समस्त अपेक्षित विवरण यथा श्रेणी/उपश्रेणी, अभ्यर्थी का पता, मोबाइल नम्बर, ईमेल इत्यादि अकित करना होगा।
- पंजीकरण फार्म भरने के पश्चात अभ्यर्थी को एक पासवर्ड बनाना होगा। उक्त पासवर्ड का प्रयोग अभ्यर्थी द्वारा च्वाइस फिलिंग के समय किया जायेगा। अभ्यर्थी अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति से साझा न करें।
- काउंसिलिंग हेतु पंजीकरण शुल्क ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से निम्नानुसार देय होगा:-
 - a) प्रथम/द्वितीय एवं तृतीय चक की काउंसिलिंग हेतु ₹0 2,000/- (रुपये दो हजार मात्र)
 - b) स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड हेतु ₹0 1,000/- (रुपये एक हजार मात्र)
- स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड में प्रतिभाग करने हेतु सभी अर्ह अभ्यर्थियों को नवीन पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
- पंजीकरण शुल्क किसी भी दशा में वापस देय नहीं (**Non Refundable**) होगा।
- पंजीकरण के पश्चात अभ्यर्थी को पंजीकरण फार्म एवं पंजीकरण शुल्क की रसीद डाउनलोड करनी होगी।

धरोहर धनराशि :-

- धरोहर धनराशि जमा करने से पूर्व अभ्यर्थी काउंसिलिंग हेतु अपनी अर्हता स्वयं जॉच ले।
- यू0पी0 नीट यू0जी0 2024 की काउंसिलिंग हेतु धरोहर धनराशि ऑनलाइन माध्यम से निम्नानुसार देय होगा:-
 1. राजकीय क्षेत्र के कालेजों हेतु ₹0 30,000/- (रुपये तीस हजार मात्र)
 2. निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों हेतु ₹0 2,00,000/- (रुपये दो लाख मात्र) तथा
 3. निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेजों हेतु ₹0 1,00,000/- (रु0 एक लाख मात्र)
- ऐसे अभ्यर्थी जो राजकीय एवं निजी दोनों क्षेत्र के मेडिकल एवं डेण्टल कालेज की सीटों हेतु काउंसिलिंग में प्रतिभाग करना चाहते हैं उन्हें मात्र ₹0 2,00,000/- (रुपये दो लाख मात्र) की धरोहर धनराशि ही जमा करनी होगी।

- ऐसे अभ्यर्थी जो राजकीय एवं निजी दोनों क्षेत्र के डेण्टल कालेज की सीटों हेतु काउंसिलिंग में प्रतिभाग करना चाहते हैं उन्हें मात्र ₹0 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र) की धरोहर धनराशि ही जमा करनी होगी।
- धरोहर धनराशि जमा करने के पश्चात अभ्यर्थी को धरोहर धनराशि की रसीद डाउनलोड करनी होगी।
- जिन अभ्यर्थियों द्वारा धरोहर धनराशि जमा नहीं की जायेगी, वह च्वाईस फिलिंग हेतु अर्ह नहीं होंगे।
- समस्त चक्र की काउंसिलिंग समाप्त होने के उपरान्त यदि अभ्यर्थी को कोई भी सीट आवंटित नहीं होती है तो ऐसी दशा में उसकी धरोहर धनराशि, जिस खाते से भुगतान किया होगा, उसी खाते में नियमानुसार वापस की जायेगी।
- राजकीय/निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश लेने के उपरान्त धरोहर धनराशि अभ्यर्थी को वापस कर दी जायेगी।
- अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि धरोहर धनराशि का भुगतान अपने खाते अथवा अपने माता/पिता के खाते से ही करें, ताकि रिफण्ड के समय किसी भी असुविधा से बचा जा सके।

आनलाइन अभिलेखों का सत्यापन —

- यू०पी० नीट यू०जी०-2024 के अन्तर्गत काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अभिलेखों का सत्यापन आनलाइन किया जायेगा।
- पंजीकरण करते समय अभ्यर्थी को अभिलेखों को ऑनलाइन सत्यापन हेतु दिये गये नोडल सेण्टरों में से किसी एक नोडल सेन्टर का चयन करना होगा। (अनुलग्नक—।)
- अभ्यर्थियों द्वारा इस हेतु निम्नांकित अभिलेख अपलोड किए जायेंगे:—
 1. हाईस्कूल मार्कशीट/प्रमाण पत्र
 2. इंटरमीडिएट मार्कशीट
 3. आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र (OBC, SC, ST, EWS & EX. Army, NCC, FF, PwD) (यदि लागू हो तो)
 4. डोमेस्टाइल सर्टिफिकेट (यदि लागू हो तो)

अध्याय—5

च्वाईस फिलिंग तथा आवंटन प्रक्रिया

- धरोहर धनराशि जमा करने के पश्चात् अभ्यर्थी को च्वाईस फिलिंग करना होगा।
- अभ्यर्थी च्वाईस लॉकिंग हेतु उपलब्ध विकल्पों में से सभी विकल्पों का चयन करने हेतु स्वतन्त्र होगा।
- च्वाईस फिलिंग के पश्चात् च्वाईस लॉक करना अनिवार्य होगा च्वाईस लॉक न करने की दशा में सीट आवंटन नहीं होगा।
- अभ्यर्थी द्वारा चयनित विकल्पों के कम से ही उसके रैंक के अनुसार उपलब्ध सीट का आवंटन किया जाएगा।
- काउंसिलिंग प्रक्रिया ऑनलाईन माध्यम से चार चकों (प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं स्ट्रेंगिंग) में सम्पन्न की जायेगी।
- अभ्यर्थी प्रथम एवं द्वितीय चक की काउंसिलिंग से आवंटित सीट को तृतीय चक की काउंसिलिंग तक अपग्रेड करने हेतु अहं होंगे।
- अभ्यर्थी द्वारा पुनरावंटन हेतु दिये गये विकल्प के अनुसार यदि कोई अन्य सीट आवंटित हो जाती है तो पूर्व में आवंटित सीट स्वतः रिक्त होकर किसी अन्य अहं अभ्यर्थी को आवंटित हो जायेगी। पुनरावंटन (Reshuffle) न होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा पूर्व प्रवेशित सीट यथावत बनी रहेगी।
- पुनरावंटन हेतु अभ्यर्थी च्वाईस फिलिंग के दौरान पूर्ववर्ती चक की काउंसिलिंग से प्रवेशित सीट का विकल्प अगले चक की काउंसिलिंग में न भरे। यदि पूर्व प्रवेशित सीट का विकल्प भरने के पश्चात् अभ्यर्थी को पुनरावंटन के फलस्वरूप वही सीट पुनः आवंटित हो जाती है तो ऐसी दशा में अभ्यर्थी को प्रवेश प्रक्रिया पुनः सम्पन्न करनी होगी। अन्यथा की दशा में पूर्व से प्रवेशित सीट स्वतः निरस्त हो जाएगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व अभ्यर्थी के स्वयं का ही होगा।

(क—) प्रथम चक की काउन्सिलिंग:-

- राजकीय तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों/डेण्टल कालेजों हेतु प्रथम चक की काउन्सिलिंग द्वारा आवंटित/प्रवेशित अभ्यर्थियों को निःशुल्क निर्गमन (Free Exit) की सुविधा होगी अर्थात् प्रथम चक की काउंसिलिंग से आवंटन के पश्चात् यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश नहीं लिया जाता है तो, उसकी धरोहर धनराशि वापस कर दी जाएगी।
- प्रथम चक की काउन्सिलिंग से निःशुल्क निर्गमन (Free Exit) की सुविधा प्राप्त अभ्यर्थी द्वितीय अथवा तृतीय चक की काउन्सिलिंग में पुनः प्रतिभाग कर सकता है।

(ख—) द्वितीय चक की काउन्सिलिंग:-

- प्रथम चक की काउन्सिलिंग से अनावंटित तथा प्रवेशित अभ्यर्थियों को द्वितीय चक की काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु पुनः धरोहर धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- राजकीय तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों/डेण्टल कालेजों हेतु द्वितीय चक की काउन्सिलिंग द्वारा आवंटित सीट पर अभ्यर्थी को प्रवेश प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में जमा की गयी सम्पूर्ण धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। ऐसे अभ्यर्थी तृतीय चक की काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु पुनः धरोहर धनराशि जमा करने के पश्चात् ही अहं होगे।
- राजकीय तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों/डेण्टल कालेजों हेतु प्रथम चक की काउन्सिलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थी यदि द्वितीय चक की काउन्सिलिंग में पुनरावंटन के पश्चात् प्रवेश नहीं लेता है तो

अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण धरोहर धनराशि जब्त कर ली जाएगी एवं उसके द्वारा राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कॉलेजों हेतु प्रवेश शुल्क को छोड़कर तत्समय जमा समस्त शुल्क एवं निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कॉलेजों हेतु उसके द्वारा तत्समय जमा शिक्षण शुल्क वापस कर दिया जाएगा।

(ग-) तृतीय चक की काउन्सिलिंग:-

- प्रथम एवं द्वितीय चक की काउन्सिलिंग से अनावंटित तथा प्रवेशित अभ्यर्थियों को तृतीय चक की काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु पुनः धरोहर धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- राजकीय तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों हेतु तृतीय चक की काउन्सिलिंग द्वारा आवंटित सीट पर अभ्यर्थी को प्रवेश प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में जमा की गयी सम्पूर्ण धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों हेतु प्रथम/द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थी यदि तृतीय चक्र की काउन्सिलिंग में पुनरावंटन के पश्चात् प्रवेश नहीं लेता है तो अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण धरोहर धनराशि तथा तत्समय जमा किये गये समस्त शुल्क जब्त कर लिया जायेगा।
- निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों हेतु प्रथम/द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थी यदि तृतीय चक्र की काउन्सिलिंग में पुनरावंटन के पश्चात् प्रवेश नहीं लेता है तो अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण धरोहर धनराशि तथा तत्समय जमा किये गये शिक्षण शुल्क का 50 प्रतिशत जब्त कर लिया जायेगा।
- तृतीय चक की काउन्सिलिंग के आवंटन की प्रोसेसिंग के पश्चात् यदि आरक्षित श्रेणी की कोई भी सीट रिक्त रह जाती है, तो ऐसी सभी सीटों को निम्नांकित तालिकानुसार आमेलित करते हुए आवंटन प्रक्रिया सम्पन्न की जाएगी:-

CONVERSION ALGORITHM

S.No.	CONVERSION CATEGORY	CATEGORY CONVERTED TO
1	ST (PwD, Ex, FF, NCC)	ST
2	SC (PwD, Ex, FF, NCC)	SC
3	UR (PwD, Ex, FF, NCC)	UR
4	OBC (PwD, Ex, FF, NCC)	OBC
5	EWS (PwD, Ex, FF, NCC)	EWS
6	ST	SC
7	SC	UR
8	OBC	UR
9	EWS	UR
10	Minority	UR

(घ-) स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड के सम्बन्ध में:-

- स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड हेतु वही अभ्यर्थी अर्ह होगे, जिन्हें यू०पी० नीट यू०जी० 2024 के किसी भी चक की काउन्सिलिंग से कोई भी सीट आवंटित न हुई हो।
- स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड हेतु नीट यू०जी०-2024 की ऑल इण्डिया काउन्सिलिंग के किसी भी चक के माध्यम से प्रवेशित अभ्यर्थी अर्ह नहीं होंगे।
- यू०पी० नीट यू०जी०- 2024 के प्रथम चक/द्वितीय चक/तृतीय चक की काउन्सिलिंग से बी०डी०ए०पा० पाठ्यक्रम में प्रवेशित अभ्यर्थी स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड की एम०बी०बी०ए०स० पाठ्यक्रम की चॉइस फ़िलिंग हेतु अर्ह होंगे। ऐसे अभ्यर्थी नियमानुसार राजकीय/निजी क्षेत्र के एम०बी०बी०ए०स०

पाठ्यक्रम हेतु देय धरोहर धनराशि ऑनलाइन माध्यम से जमा करना सुनिश्चित करेंगे। जिन अभ्यर्थियों की धरोहर धनराशि जमा नहीं होगी, वे अभ्यर्थी चॉइस फ़िलिंग हेतु अर्ह नहीं होंगे।

- स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड में प्रतिभाग करने हेतु समस्त अर्ह अभ्यर्थियों को पृथक से ₹0 1000/- पंजीकरण शुल्क जमा करते हुये नवीन पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
- ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व चक्रों की काउंसिलिंग में प्रतिभाग नहीं किये हों, एवं प्रथम बार स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड की काउंसिलिंग में प्रतिभाग कर रहे हों, उन्हें नियमानुसार धरोहर धनराशि जमा करना आनिवार्य होगा।
- प्रथम/द्वितीय/तृतीय चक की काउंसिलिंग में पंजीकृत एवं अनावंटित ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पूर्व में धरोहर धनराशि जमा की गयी है, उन्हें स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड की काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु पुनः धरोहर धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड से आवंटन प्राप्त समस्त अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय समस्त मूल शैक्षणिक/आरक्षण संबंधी प्रमाण-पत्र आवंटित मेडिकल कालेज/नोडल सेन्टर पर प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी के प्रवेश पर विचार नहीं किया जायेगा।
- यदि कोई अभ्यर्थी स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड से आवंटन के पश्चात् प्रवेश नहीं लेता है, तो ऐसे अभ्यर्थियों की जमा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा ₹०पी० नीट ₹०जी० काउंसिलिंग 2025-26 के लिये प्रतिबंधित कर दिया जायेगा।

✓ Mr. ✓ ✓ ✓ ✓

अध्याय—6 प्रवेश प्रक्रिया

- राजकीय क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेज/संस्थान/विश्वविद्यालय में आवंटित अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रक्रिया आवंटित कालेज में सम्पन्न करनी होगी।
- निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेज/विश्वविद्यालय एवं अल्प-संख्यक संस्थान हेतु प्रवेश प्रक्रिया के सम्बन्ध में रिट याचिका (सिविल) संख्या—267/2017 दार्-अस—सलाम एजूकेशनल ट्रस्ट व अन्य बनाम मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया व अन्य में मातृ उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.05.2017 के कम में, विभिन्न मेडिकल कालेजों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों को नोडल सेन्टर बनाकर निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों में आवंटित अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी।
- निजी क्षेत्र के कालेजों में प्रवेश हेतु निर्धारित नोडल सेन्टर की सूची संलग्न है। (अनुलग्नक-II)
- निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेज/विश्वविद्यालय (अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर) में आवंटित अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय ही शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क की धनराशि को सी०टी०एस० डिमांड ड्राफ्ट द्वारा, जो महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ के पक्ष में देय हो, जमा करना अनिवार्य होगा। अल्पसंख्यक संस्थानों/कालेजों में प्रवेश ड्राफ्ट द्वारा निर्धारित नोडल सेन्टर पर जमा करना अनिवार्य होगा।
- निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों/विश्वविद्यालयों हेतु यह अनिवार्य होगा कि वह शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क तथा अन्य शुल्क अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करेंगे एवं अल्पसंख्यक संस्थान भी अपने कालेजों हेतु निर्धारित शुल्क तथा अन्य शुल्क अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करेंगे।
- प्रवेश के समय निम्नलिखित मूल अभिलेखों का सत्यापन आवंटित मेडिकल अथवा डेण्टल कालेज/नोडल सेन्टर पर अभ्यर्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर कराया जायेगा:—
 - 1- आंवटन पत्र की कापी।
 - 2- नीट यू०जी०—2024 का प्रवेश पत्र व स्कोर कार्ड।
 - 3- हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट की मार्कशीट तथा प्रमाण पत्र।
 - 4- सामान्य निवास प्रमाण—पत्र (उ०प्र० शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उ०प्र० के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत) (यदि लागू हो तो)
 - 5- आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र (उ०प्र० शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उ०प्र० के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत) (यदि लागू हो तो)
 - 6- पहचान प्रमाण पत्र की छायाप्रति (आधार कार्ड/ड्राइविंग लाइसेन्स/पैन कार्ड/पासपोर्ट)
- प्रवेश के समय अभ्यर्थी को समस्त अभिलेख मूल रूप में एवं स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।
- प्रवेश के समय मूल अभिलेख न होने या सत्यापन में अभिलेख गलत पाये जाने पर आंवटन/प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा। प्रवेश लेने के उपरान्त किसी भी प्रमाण पत्र के सक्षम स्तर से सत्यापन की प्रक्रिया में यदि कोई भी अभिलेख/प्रमाण पत्र/सूचना कूट रचित पायी जाती है तो इस स्थिति में अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त करते हुये सुसंगत धाराओं के अनुसार विधि—सम्मत कार्यवाही की जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व अभ्यर्थी के स्वयं का होगा।

✓ Chw ✓ ✓ ✓ ✓ ✓